मुख्यमंत्री भजनलाल ने पत्रकारों के लिए विशेष आवास योजना शुरु की

उन्होंने कहा कि पत्रकारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए सम्मान योजना व आरजेएचएस जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं

जयपुर, 17 अक्टूबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पत्रकारिता केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक दायित्व, जनजागरण और राष्ट्र निर्माण की महत्वपूर्ण साधना है। उन्होंने अपने पत्रकारिता के अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि वे पत्रकारों को होने वाली समस्याओं और कठिनाइयों को अच्छे से समझते हैं।

मुख्यमंत्री ने शनिवार को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में राजस्थान आवासन मंडल की विशिष्ट पंजीकरण योजना-2026 के तहत पत्रकारों के लिए विशेष आवास योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि जयपुर के इंदिरा गांधी नगर आवासीय योजना, सेक्टर-9, जगतपुरा में पत्रकारों के लिए फ्लैट्स का पंजीकरण शुरू किया गया है। इस बहुमंजिला आवासीय योजना के तहत, फ्लैट्स में सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि पत्रकार साथियों को सुरक्षित और सुविधायुक्त आवासीय वातावरण मिल सके।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सुरक्षित-सुविधायुक्त फ्लैट्स के जरिए पत्रकारों का आशियाना का सपना साकार किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में आवासीय योजना के फेज-1 में 3 बीएचके फ्लैट पर कुल लागत में 15 लाख रुपये और 2 बीएचके फ्लैट पर कुल लागत में 12 लाख रुपये की विशेष छूट देने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले पौने तीन वर्षों में पत्रकारों के कल्याण के लिए अनेक पहल की हैं। स्वतंत्र पत्रकारों के अधिस्वीकरण के लिए आयु सीमा और अनुभव में छूट देकर न्यूनतम पात्रता आयु 45 वर्ष तथा अनुभव 15 वर्ष निर्धारित किया गया, जिससे 31 प्रेस प्रतिनिधि लाभान्वित हुए हैं। अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों को प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 43 छात्रवृत्तियां दी गई हैं।

उन्होंने कहा कि राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना (आरजेएचएस) में 1 हजार 423 बीमित पत्रकारों के प्रीमियम के रूप में 2 करोड़ 15 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना के तहत 462 लाभार्थियों को सम्मानित किया गया, जबकि पत्रकार एवं साहित्यकार कल्याण कोष से 24 अधिस्वीकृत पत्रकारों और उनके आश्रितों को सहायता प्रदान की गई है।

अभिजीत दीपके को सशर्त जमानत

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर। दिल्ली स्थित मंदिर मार्ग के स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने काकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके को जमानत दे दी है। स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने दीपके को 50 हजार रुपये के शांति बॉन्ड पर रिहा करने का आदेश दिया।

- दीपके को 50,000 रु. के शांति बॉंड पर जमानत दी गई है। इसके तहत उन्हें एक साल तक शांति बनाए रखनी होगी।

शांति बांड के मुताबिक, दीपके को एक साल तक शांति बनाये रखनी होगी।

दीपके को 16 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने तब गिरफ्तार किया था, जब वे सेंट्रल पार्क में आयोजित "लहरा दो तिरंगा" विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए कनॉट प्लेस जा रहे थे। दिल्ली पुलिस ने झंडेवालान के निवास स्थान से दीपके को हिरासत में लिया। 16 अक्टूबर को दोपहर में दिल्ली पुलिस के 20 से अधिक जवान दीपके के निवास पहुंचे और उन्हें एक नोटिस दिया। इस नोटिस में उनसे कहा गया कि वे ऐसा कोई भी काम न करें जिससे नागरिकों, व्यापारियों, यात्रियों, मरीजों और अन्य लोगों के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल असर पड़े।

'इंटरनैट बच्चों का भी मूल अधिकार है'

सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनैट पर उम्र आधारित प्रतिबंध लगाने से मना कर दिया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट तक पहुंच को बच्चों का भी मौलिक अधिकार माना है और उम्र के आधार पर इंटरनेट के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है।

न्यायालय ने शुक्रवार को कहा, "हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि संविधान के अनुच्छेद 21 और साथ में अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत, इंटरनेट तक पहुंच और उसका इस्तेमाल प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है।"

अदालत ने आगे कहा, "बच्चों को भी, उनकी उम्र चाहे जो हो, समान अधिकार प्राप्त हैं। इन अधिकारों से उन्हें पूरी तरह वंचित करना उतना ही बेतुका होगा, जितना यह कहना कि एक निश्चित उम्र से कम उम्र के बच्चों की ऐसी कोई अंतरात्मा नहीं होती, जिसकी रक्षा की जाए, या उनके पास अभिव्यक्ति के लिए बोलने की स्वतंत्रता नहीं होती।"

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत इंटरनैट बच्चों का भी मूल अधिकार है।

न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. वी. चंद्रन ने 16 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। यह सुनवाई बाल अधिकारों के लिए काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन 'जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन एलायंस' और एक अन्य आवेदक की याचिकाओं पर हुई।

याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार से जुड़ी सामग्री (चाइल्ड सैक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन एण्ड अब्यूज़ मैटिरियल) की सूचना भारतीय अधिकारियों को देने के अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहे हैं।

कोलकाता दुर्गा पंडाल में भगदड़, 17 की मौत

कोलकाता, 17 अक्टूबर। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में चोरबागान के दुर्गा पंडाल में शनिवार रात भगदड़ मच गई। हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई है। मरने वाले 17 लोगों में 3 पुरुष, एक बच्चा और 13 महिलाएं शामिल हैं।

हालांकि कोलकाता मेडिकल कॉलेज के सूत्रों के मुताबिक, हादसे में 20 लोगों की मौत होने की आशंका है।

हादसे में 40 से ज्यादा लोग घायल हैं। आशंका है कि घायलों की संख्या और बढ़ सकती है। एक चश्मदीद के मुताबिक, दुर्गा पंडाल का एक हिस्सा ढहने की वजह से भगदड़ मची है।

पश्चिम बंगाल के कोलकाता में शनिवार शाम करीब 7:40 बजे गिरीश पार्क थाना क्षेत्र के सरदा पार्क (चोरबागान) पूजा पंडाल के एग्जिट गेट पर भगदड़ मच गई। बारिश के बीच पंडाल में भारी भीड़ जमा होने के कारण यह घटना हुई।

- चोरबागान दुर्गा पंडाल में हुए इस हादसे से 40 से ज्यादा लोग घायल हुए है। मृतकों में 3 पुरुष 13 महिलाएं व एक बच्चा शामिल है।
- दुर्गा पंडाल का एक हिस्सा ढहने की वजह से भगदड़ मची थी।
- मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अस्पताल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया।

घायलों को कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। अस्पताल से सामने आई तस्वीरों में इलाज और राहत कार्य जारी दिखाई दे रहे हैं, जबकि प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। मुख्यमंत्री अस्पताल पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने क्लब के सभी सदस्यों को थाने बुलाने का निर्देश दिया है। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक, मेडिकल कॉलेज में 40 से 50 लोगों को लाया गया है। कोलकाता पुलिस कमिश्नर अजय नंद भी अस्पताल पहुंच गए हैं।

चोरबागान हादसे पर ममता बनर्जी ने चिंता जताई है। उन्होंने एक्स पर लिखा, चोरबागान पूजा पंडाल में भगदड़ जैसी स्थिति में लोगों के कुचले जाने की घटना के बारे में जानकर मुझे गहरा दुख हुआ है। मैं मां दुर्गा से प्रार्थना करती हूं कि सभी घायल जल्द स्वस्थ हों। इस मुश्किल समय में घायलों के परिवारों को हिम्मत और ताकत देने की प्रार्थना भी करती हूं।

अमेरिकी विदेश मंत्री ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान की आधिकारिक यात्रा के दौरान मेजबानी करेंगे। 20 अक्टूबर को वे रुबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और अमेरिकी स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ के अवसर पर अमेरिकी वाणिज्य दूतावास में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि (गैस्ट ऑफ ऑनर) के रूप में शामिल होंगे।

रुबियो के साथ होने वाली बातचीत में ऊर्जा, व्यापार और निवेश, रक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती टैक्नॉलजीज़ तथा क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। इन बैठकों का उद्देश्य भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना है।

बैठक के स्थान के पक्ष में बोलते हुए जायसवाल ने कहा, "पिछले एक दशक से यह चलन रहा है कि समय-समय पर भारत के विभिन्न शहरों में विदेशी नेताओं की मेजबानी की जाती है।" उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वडोदरा में स्पेन के प्रधानमंत्री, अहमदाबाद में जर्मनी के चांसलर फ्रैडरिक मर्ज और वाराणसी में मॉरीशस के प्रधानमंत्री की मेजबानी की थी। खुद जयशंकर ने भी गोवा में "शंघाई सहयोग संगठन" के विदेश मंत्रियों की बैठक, केवड़िया में बोत्सवाना के विदेश मंत्री की मेजबानी और अमृतसर में "हार्ट ऑफ एशिया" सम्मेलन की मेज़बानी की है।

अडवानी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जाकर अडवाणी के स्वास्थ्य की जानकारी ली।

सूत्रों के मुताबिक, अडवाणी को शुक्रवार शाम करीब 7.30 बजे जसोल विहार स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया। अडवाणी तीन बार भाजपा के अध्यक्ष और 2002 से 2004 तक देश के उपप्रधानमंत्री के पद पर रहे। भाजपा को एक प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में स्थापित करने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई।

नूडल्स खाने से 5...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वैज्ञानिक जांचों के बाद चलेगा। पुलिस ने बताया कि जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कांग्रेस को रामलीला मैदान रैली की अनुमति

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस को एक नवंबर को रामलीला मैदान में रैली आयोजित करने की अनुमति दे दी है। इसके लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) भी जारी कर दिया गया है।

मध्य जिले के पुलिस उपायुक्त रोहित राजबीर सिंह के मुताबिक, कांग्रेस ने एक नवंबर को रामलीला मैदान में रैली आयोजित करने की योजना बनाई है और इसके लिए आवश्यक एनओसी प्राप्त करने को लेकर पुलिस से संपर्क किया था। निर्धारित प्रदर्शन स्थल पर रैली आयोजित करने को लेकर 25 अक्टूबर से तीन नवंबर तक की अवधि तक के लिए एनओसी जारी किया गया है।

- दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस को एक नवंबर की रैली के लिए अनुमति दे दी है।

सलेक्टिव मीडिया, कोटा के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी रोड, कोटा से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा आर.एन.आई. नं. 28446/75, **जयपुर कार्यालय:** सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, **बीकानेर कार्यालय :** कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, **उदयपुर कार्यालय:** आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, **अजमेर कार्यालय:** राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 **जालौर कार्यालय :-** प्लाट नम्बर H1-4, इन्डस्ट्रीयल एरिया फैस प्रथम, जालौर, (राज.) फोन नम्बर 226422, 226423, जालौर। फैक्स: 02973-226424, **हिण्डौनसिटी कार्यालय :-** जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 **चूरू कार्यालय :** एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908